तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2472/2005/अलवर रिछपाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री जगदम्बा प्रसाद, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अयूब खां, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 04.02.2019

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बनसूर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–05–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 02 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया है।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में कायम की गयी तनकी संख्या–9, 10 व 11 स्पष्टत कानूनी तनकी नहीं होकर तथ्य एवं विधि की मिश्रित तनकी है, जिस पर उभयपक्ष की साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त ही विधिसम्मत् निर्णय पारित किया जा सकता है। उनका कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 आरबीजे पेज 603 पर यह व्यवस्था दी है कि परीक्षण न्यायालय को सभी विवादित बिन्दूओं पर एक साथ निर्णय करना चाहिए। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है। उनका कथन है कि मूल वाद में जवाबदावा प्रस्तुत करने के उपरान्त तनकीयात कायम हो चुकी है, कायम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2472/2005/अलवर रिछपाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की गयी सभी तनकीयात पर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त मूल वाद का निस्तारण किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर मूल वाद में कायम की गयी सभी तनकीयात पर पक्षकारान की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी कानूनी तनकीयात पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित करने का निगराधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 1990 आरआरडी पेज 52, 1994 आरआरडी पेज 177 एवं 1996 आरआरडी पेज 409 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी प्रार्थी ने विवादित आराजी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 188 के तहत मूल वाद प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 12 तनकीयात कायम की गयी, जिनमें तनकी संख्या– 9, 10 व 11 स्पष्टतयाः कानूनी तनकी है, जिस पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2472/2005/अलवर रिछपाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उभयपक्ष की मौखिक साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने की कोई आवश्यक नहीं है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि मूल वाद में विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गयी कानूनी तनकीयात पर पक्षकारान की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल मात्र पक्षकारान के अधिवक्तागण की कानूनी तनकी पर बहस सुनकर उक्त तनकीयात को निर्णीत किया जाना होता है। विचारण न्यायालय द्वारा इसी विधिक बिन्दू को ध्यान में रखते हुए निगराधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य